UPEW010015332026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी(पी०ए०)एक्ट,/अपर सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं.2, इटावा।

पीठासीन अधिकारी संजय कुमार–IV........उच्चतर न्यायिक सेवा ।

JO Code UP 6462

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–455/2026

विकास, आयु लगभग 25 वर्ष, पुत्र सुखवीर सिंह, निवासी ग्राम रावरोहार बेर, थाना भरथना, जिला इटावा।

.......प्रार्थी/अभियुक्त ।

प्रति

उ०प्र०राज्य।

...विपक्षी।

अपराध संख्या 47/2025

धारा–108 बी.एन.एस.

थाना चौबिया,जिला इटावा।

07.03.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त विकास की ओर से अपराध संख्या 47/2025, धारा 108 बी.एन.एस.,थाना चौबिया, जिला इटावा के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी रामवीर सिंह द्वारा थाना चौबिया, जिला इटावा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि वादी के छोटे पुत्र अमित कुमार उम्र लगभग 23 वर्ष थी जो कि बी.एससी एग्रीकल्चर स्नातक कर चुका था उसकी कृषि कार्य में बेहद रूचि थी। उसके पुत्र की शादी रिंकी पुत्री सुखवीर सिंह निवासी ग्राम राउरेहार थाना भरथना जिला इटावा के साथ लगभग 2 वर्ष पहले हुयी थी। शादी के बाद से ही उसकी पुत्रवधू रिंकी, जिसके चाल–चलन सही नहीं थे, आये दिन उसके बेटे अमित कुमार से उसका झगड़ा होता रहता था। उसके बेटे ने अपनी मां को बताया था कि रिंकी किसी से फोन पर बात करती है और मना करने पर कहती है कि सारे घर को 2 मिनट मे फंसा दूँगी। वादी की पुत्रवधू

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.03.07 18:28:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

महीने में अगर 10 दिन ससुराल रहती तो 20 दिन अपने मायके में रहती थी। कुछ दिनों के बाद उस की पुत्रवधू रिंकी अपने मायके चले गयी। वादी का बेटा अमित कुमार उसे लाने के लिये अपने ससुराल गया जहां पर विमला देवी पत्नी सुखवीर सिंह (सास), नेहा पुत्री सुखवीर सिंह (साली) तथा विकास पुत्र सुखवीर सिंह (साला) ने उसके ससुरालीजनों ने भला-बुरा कहा और अपमानित करके भगा दिया। उसकी पुत्रवधू रिंकी उसके बेटे के ऊपर दबाब बना रही थी कि अपने मां- बाप को छोड़ दो और इटावा में मकान बनवाओ वहीं पर रहेंगे। वादी का बेटा हम लोगों से प्यार करता था पत्नी और मां-बाप में से किसी को छोड़ना नहीं चाहता था। वादी के पुत्र के ससुरालीजन आये दिन फोन पर धमकाते रहते थे। वादी के पुत्र की पत्नी रिंकी के अवैध सम्बन्ध उसके दूर के रिश्ते के मामा सीटू निवासी नन्दपुर से थे, जिससे रिंकी घन्टों-घन्टों बात करती रहती थी, जिसको लेकर घर में कलह होती रहती थी। सीटू के अलावा एक लड़का देव, जो कि साली नेहा का प्रेमी था उसके रिंकी तथा नेहा के साथ अवैध सम्बन्ध थे। वादी के पुत्र को इतना प्रताड़ित कर दिया कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया था। वादी के पुत्र अमित कुमार की पत्नी रिंकी फोन पर कहती थी कि तुम्हें मर जाना चाहिए तुम जिन्दा क्यों हो। आज के बाद मुझसे मतलब नहीं रखना चाहे जिन्दा रहो या मर जाओ हमसे मतलब मत रखना तथा उसकी सास विमलादेवी, साली नेहा तथा विकास साला उसका सपोर्ट करते थे। घटना दिनांक 02.04.2025 को समय लगभग शाम के 7 बजे को घर की दूसरी मंजिल पर सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, वादी घटना के वक्त अपने रिश्तेदारी में निमंत्रण खाने गया था। उसको फोन पर सूचना मिली। घटना के वक्त वादी की पुत्रवधू अपने मायके में थी। उसके बेटे ने आत्महत्या उसकी पत्नी रिंकी तथा उसके प्रेमी सीटू और देव के द्वारा सुसाइड करने के लिए उकसाने तथा उसके ससुरालीजनों के द्वारा मानसिक प्रताड़ित करने के कारण की है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है उसको अपमानित करने के उद्देश्य से उपरोक्त वाद में असत्य रूप से आलिप्त किया है। अभियोजन कथानक पूर्णतः असत्य, मिथ्या एवं मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है जो कदापि विश्वसनीय नहीं है। प्राथमिकी दर्ज कराने में काफी विलम्ब हैं तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तथा घटना का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं दर्शाया गया है। मुकदमा उपरोक्त में सुसाइड नोट घटना के लगभग एक माह नौ दिन पश्चात वादी मुकदमा द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराया गया है जिससे भी स्पष्ट है कि सुसाइड नोट पूर्णतः फर्जी एवं मनगढ़ंत कहानी बनाकर दाखिल किया है। उपरोक्त मामले में सह अभियुक्तगण विमला देवी, नेहादेवी, रिंकी व देव की जमानत माननीय उच्च

न्यायालयद्वारा स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है न ही पूर्व में सजायाफ्ता साबित है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 11.02.2026 से कारागार में निरुद्ध होना कहते हुए जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नामजद है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा के पुत्र की शादी लगभग दो वर्ष पूर्व सहअभियुक्ता रिंकी से हुयी थी तथा सहअभियुक्ता रिंकी, वादी के पुत्र अमित कुमार (मृतक) पर अपने माता–पिता को छोड़कर उसके साथ इटावा में मकान बनाकर अलग रहने का दबाब बनाती थी तथा अन्य सहअभियुक्तगण विमलादेवी, नेहा व अभियुक्त उसे धमकाते व मानसिक रूप से परेशान कर प्रताड़ित करते थे। सह अभियुक्ता रिंकी वादी मुकदमा के पुत्र को फोन पर कहती थी कि तुम्हें मर जाना चाहिए तुम जिन्दा क्यों हो, इस सब कार्य में रिंकी का समर्थन विमलादेवी, नेहा तथा सुसाइड नोट में उल्लिखित अन्य अभियुक्त करते थे। उक्त सब से प्रताड़ित व मानसिक रूप से परेशान होकर वादी मुकदमा के पुत्र अमित कुमार द्वारा दिनांक 02.04.2025 को सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या किया जाना कहा गया है। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के पुत्र को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किये जाने का आरोप है। उक्त मामला गंभीर प्रकृति का है।

7. अतः मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों,परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता एवं अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त विकास की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(संजय कुमार–IV)

दिनांक 07.03.2026

विशेष न्यायाधीश एससीएसटी(पी०ए०)एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.2,इटावा।

JO Code UP 6462